राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री महिमा कराना, आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 58/2023
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2023/158
दायर दिनांक– 31.08.2023
निर्णय दिनांक– 20.11.2024

1. संतोष देवी पत्नि रामनिवास जाति ब्राहमण नि0 गकराना तह0 गकराना जिला डीडवाना कुचामन .....अपीलांट

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत रूपनगढ़ जिला अजमेर
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रूपनगढ़ जिला अजमेर
3. तहसीलदार ,रूपनगढ़
4. नायब तहसीलदार रूपनगढ़
5. पटवारी पटवार हल्का रूपनगढ़
6. चन्दादेवी पुत्री कन्हैयालाल पत्नि अशोक जाति ब्राहमण नि0 बड़ी खाटू तह0 डिडवाना जिला नागौर ....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी, अधि0 अपीलांट
2 गौरीशंकर बियाणी अधि0 रेस्पो0 संख्या 6

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वाकै ग्राम रूपनगढ़ की राजस्व सीमा में स्थित ख0न0 532, 533, 540, 541 कुल खसरा 4 कुल रकबा 1.6988 है0 स्थित है जिसमें जरिये वसीयत अपीलान्ट का 1/6 हिस्सा आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का दिनांक 27.1.2019 को निष्पादित वसियतनामा जो वसियतकर्ता मनोहर देवी पत्नि स्व0 श्री कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी रूपनगढ़ जिला अजमेर ने मुझ अपीलान्ट के हक में विरासत से प्राप्त 1/6 हिस्सा जो वसियतकर्ता मनोहरी देवी का था उक्त सम्पूर्ण हिस्सा की वसियत मुझ अपीलांट के पक्ष में बरूबरू मोतबिरान निष्पादित कर दी थी। वक्त वसीयत रेस्पोडेंट नं 6 चन्दा देवी भी मौजूद थी उसके भी वसियतनामा पर हस्ताक्षर किये हुये है। रेस्पोडेंट नं 6 चन्दा देवी को बखूबी जानकारी होते हुये भी बिना किसी विधिक अधिकार के मनोहर देवी का नामान्तरकरण गुपचुप तरीके से नामान्तरकरण संख्या 7144 दिनांक 20.7.2023 को रेस्पोडेंट नं 1 व 2 से मिलीभगत कर पारित करवा लिया था जो प्रारम्भ से ही शुन्य है क्योकि रेस्पोडेंट नं 6 को पता था कि मेरी माता मनोहर देवी ने दिनांक 27.1.2019 को बमोजूदगी चन्दा देवी वसियत कर दी थी उसी दिन चन्दा देवी का मनोहर देवी की सम्पति में कानूनन अधिकार समाप्त हो चुका था। खुद रेस्पोडेंड नं 6 के संज्ञान में होते हुए भी रेस्पोडेंट नं 6 चन्दा देवी ने मुझ अपीलान्ट को बिना बताये गुपचुप तरीके से उक्त नामान्तरकरण भरवा लिया था। उक्त नामान्तरकरण को रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित कर दिया जो अपीलांट के हक हिस्से 1/6 तक खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट ने अपनी वसियत पटवार हल्का रूपनगढ़ को नामान्तरकरण भरने हेतु कहा तो पटवार हल्का रूपनगढ़ ने बताया कि इस वक्त मनोहर देवी के नाम ख0न0 532, 533, 540, 541 में भूमि नही है। मनोहर देवी के हिस्सा का नामान्तरकरण चन्दा देवी ने अपने नाम करवा लिया है तब मैने नकल लेने पर पता चला कि गुपचुप तरीके से चन्दा देवी ने मेरे हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम करवा लिया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। नकल दिनांक 23.8.2023 को प्राप्त होने पर अपील अन्दर मियाद पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

अपीलांट के उक्त आराजियात में 1/3 हिस्से में से 1/6 हिस्सा वसियतकर्ता के हक हिस्से अनुसार नामान्तरकरण संख्या 7144 दिनांक 20.7.2023 खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट उक्त आराजी में 1/6 हिस्से की हक हिस्सेदार वसियत अनुसार है इस कारण चन्दा देवी के नाम भरा गया नामान्तरकरण 7144 दिनांक 20.7.2023 खारिज फरमाया जाकर अपीलांट के नाम विधि अनुसार नामान्तरकरण भरवाने के आदेश करवाने की अपीलांट अधिकारी है। वकील अपीलांट की ओर से निवेदन है उक्त अपील को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 7144 दिनांक 20.7.2023 का खारिज फरमाया जावे व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 6 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे ताकि राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनी रहें।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये नोटिस की गयी। रेस्पोडेन्ट्स के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। रेस्पोडेन्ट्स नं 1, 2, 4 व 5 की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनका जवाब बंद किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स नं 6 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्ट्स नं 6 ने अपने जवाब में कथन किया कि ग्राम पंचायत रूपनगढ़ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 7144 दिनांक 20.7.2023 दर्ज किया गया है जो कि सही है रेस्पोडेंट नं0 6 माता मनोहरी देवी की चन्दा देवी विधि वारिसान है तथा मनोहरी देवी की मृत्यु के पश्चात एकमात्र वारिस रेस्पोडेन्ट्स नं 6 चंदा देवी पुत्री कन्हैयालाल ही है इसके अलावा अन्य कोई जाईन्दा वारिसान नहीं है। पैतृक संपति होने से कोई वसीयत की भी जाती है तो भी वसीयतकर्ता को कोई वसीयत करने का अधिकार नहीं है। इसलिये उक्त अपील खारिज किये जाने योग्य है। वसीयत मनोहरी देवी ने की है तो इस अपील को सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय को है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। रेस्पोडेंट नं 3 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त आराजी में 1/6 हिस्से की हक हिस्सेदारी वसियत अनुसार है इस कारण चन्दा देवी के नाम भरा गया नामान्तरकरण 7144 दिनांक 20.7. 2023 को खारिज फरमाया जाकर प्रार्थी के नाम विधि अनुसार नामान्तरकरण भरवाने के आदेश फरमावें। वकील अप्रार्थी संख्या 6 ने अपनी बहस में जवाब के कथन का दोहरान करते हुये निवेदन कि किया उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेंट नं 6 मनोहरी देवी की विधिक वारिसान है जिसका नामान्तरकरण विधिक प्रकिया से निहित होकर खोला गया है। अपीलांट के कथनअनुसार रेस्पोडेंट नं 6 की माता ने वादग्रस्त आराजी के 1/6 हिस्से की वसीयत अपीलांट के नाम की है। उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 7144 दिनांक 20.7.2023 को निरस्त कर उक्त 1/6 हिस्से का नामान्तरकण अपीलांट के नाम खोला जावें। अपींलांट के केवल मात्र वसीयतनामा के आधार पर वादग्रस्त आराजी के 1/6 हिस्से का नामान्तरकरण खोला जाना न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। अतः अपीलांट की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 सारहीन होने से खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

महिमा कसाना
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)